आवेदन मूल्य रू. – **500.00**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर संयंत्र से संबद्ध विपणन मार्ग पर सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु अल्पकालीन ई–निविदा वर्ष 2022

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर **453771**

Phone : 0731-2811189, Fax No. 0731-2811559

Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु अल्पकालीन ई–निविदा की समय–सारणी

1	ई–निविदा ऑन–लाईन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 14.03.2022 दोपहर 12.00 बजे तक
2	ई–निविदा ऑन–लाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 14.03.2022 दोपहर 12.00 बजे तक
3	ई–निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 15.03.2022 दोपहर 01.00 बजे
4	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 500/– (रू. पॉच सो मात्र)
5	परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई–निविदा में जाने वाली ई.एम.डी. राशि	रू. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र)
6	परिवहनकर्ता कार्य हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें।	प्रपत्र 01 एवं 02
7	परिवहनकर्ता परिचय एवं संक्षिप्त विवरण फार्म	प्रपत्र 03
8	परिवहनकर्ता हेतु मार्ग की जानकारी	प्रपत्र 04
9	फाइनेंशियल बीड	प्रपत्र 05

ई–निविदा फार्म भरते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- धरोहर राशि (EMD) केवल आनलाईन ही जमा की जावे।
- परिवहनकर्ता द्वारा ई–निविदा में आवश्यक दस्तावेजों को केवल ऑनलाईन ही अपलोड किए जावें।
- उपरोक्त तिथियों में यदि शासकीय अवकाश घोषित होता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में ई–निविदा खोली जावेगी।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर ।

महोदय,

साँची दूध एंव दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक ....2022 को इन्दौर से प्रकाशित पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा दर स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मेरे द्वारा ई.एम.डी. राशि रू. 10,000/– (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) ऑन लाईन जमा कर दिए गए है।

तकनीकी अर्हताऐं

क्रं0	आवश्यक अर्हता	विवरण
1	परिवहनकर्ता/ट्रासंपोर्टर का नाम,परिचय एवं संक्षिप्त विवरण (यदि संस्था/फर्म आदि का पंजीयन का प्रमाण हो, तो संलग्न करें।)	समस्त चाहे गए दस्तावेजों को ऑन लाईन प्रस्तुत करें।
2	यदि कोई पार्टनर/ट्रासंपोर्टर हों तो उनका नाम व पता	
3	परिवहनकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
4.	परिवहनकर्ता/फर्म/कंपनी की ओर से कोई अन्य बतौर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है तो इस बारे में फर्म/कंपनी की ओर से विधिवत अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ एटार्नी संलग्न करना अनिवार्य है।	
5	निविदाकर्ता का संबंध अध्यक्ष/संचालक मण्डल के सदस्यों, दुग्ध संघ के अधिकारी /कर्मचारी से निकट के रिश्तेदार नही है एवं किसी भी दुग्ध संघ द्वारा ब्लेकलिस्ट नही किया गया हो रू. 100 के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
6.	परिवहनकर्ता का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।	
7.	परिवहन कार्य हेतु उपलब्ध रेफ्रीजरेटेड वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत करें अथवा नया वाहन खरीदने की दशा में रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत कर 30 दिवस के भीतर वाहन उपलब्ध करना होगा।	
8	परिवहनकर्ता के पास F.S.S.A.I (खाद्य लायसेंस) का होना आवश्यक है।	

नोट :–

1) परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकृत होने पर समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ कार्यालय में उपलब्ध करना अनिवार्य है अन्यथा कार्य आवंटन निरस्त किया जावेगा।

2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ई–निविदा निरस्त कर ई.एम.डी. राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर ————————————————
नाम :– ————————————————
स्थाई पता :– ————————————————
टेलीफोन नं. ————————————————
मोबईल नं ————————————————
ई–मेल नं. ————————————————
फैक्स नं. ————————————————

सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवश्यक शर्ते :

1. निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाकर प्रपत्र को ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
2. आवेदक को ऑनलाईन राशि रूपये 10,000/– (अक्षरी दस हजार रूपये) अर्नेस्टी मनी के रूप में जमा करना होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नही किया जावेगा। अतः ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
3. असफल निविदाकारों की ईएमडी राशि एम.पी. टेण्डर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
4. निविदाकार के पास स्वयं के नाम का रेफ्रीजरेटेड वाहन होना आवश्यक है यदि आवेदनकर्ता नया वाहन क्रय करना चाहता है तो रू 100/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ–पत्र आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें। रेफ्रीजरेटेड वाहन मॉडल वर्ष **2017** अथवा उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना चाहिए **वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ** से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
5. परिवहन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व रेफ्रीजरेटेड वाहन का सत्यापन स्थानीय कमेटी से करवाना अनिवार्य होगा।
6. सफल निविदाकार को रेफ्रीजरेटेड वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।
7. संयंत्र विपणन डाक से वाहन डिस्पेज होने के उपरान्त किसी भी प्रकार का लीकेज एवं दुग्ध की मात्रा में कमी पायी जाने पर परिवहनकर्ता से वसूली की जावेगी।
8. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
9. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकर्ता को निर्धारित प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना अनिवार्य है।
10. यह कि अनुबंधित अवधि मे डीज़ल की दरो मे जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार ही परिवहन दरो मे भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेंगी।
11. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी (ई.एम.डी. राशि) राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही संबंधित विपणन मार्ग की निविदा को निरस्त समझा जावेगा।
12. भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
13. विपणन मार्ग पर दुग्ध प्रदाय हेतु प्रतिदिन निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध करेंगे तथा प्रतिदिन की वापसी खाली क्रेटों को संयंत्र स्तर पर दिये गये निर्धारित समय पर जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा खाली क्रेट वापसी विलम्ब की स्थिति में आपके देयकों से नियमानुसार पेनल्टी लगायी जावेगी तथा खाली क्रेट बकाया रहने पर क्रेट मूल्य के आधार पर कटोत्रा किया जावेगा।
14. दुग्ध संयंत्र से संबंद्ध विपणन परिवहन मार्गों पर वास्तवित संचालन व्यय से कम दरें प्राप्त होने पर निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरें/ई–निविदा निरस्त की जावेगी।
15. निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध राशि रू. 1,000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प निष्पादित करना होगा।
16. किसी भी विपणन मार्ग की ई–निविदा को बिना कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
17. निविदाकर्ता/निविदा दरों में वर्तमान डीजल दरों एवं मार्गो में पड़ने वाले टोल टेक्स को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। आवेदन अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर आनुपातिक रूप से कर दिया जावेगा तथा

भविष्य में अनुबंधित मार्गो पर खुलने वाले टोल टेक्स का भुगतान हेतु निर्णय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।

18. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में राशि रू. 50,000/— (अक्षरी रू. पचास हजार मात्र)। प्रतिभूति राशि जमा कराना अनिवार्य है। प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ कार्यालय में जमा RTGS अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ईएमडी राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा।

19. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता को कार्य अवधि तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि में एक—एक वर्ष कर दो बार की वृद्धि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

20. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधी में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधी में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि भी राजसात की जा सकेगी।

21. निविदाकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 100/— के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदाकर्ता इन्दौर दुग्ध संघ के मा. अध्यक्ष महोदय/संचालक मंडल के किसी सदस्य/इन्दौर दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से संबंधित नही है तथा आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं/इन्दौर दुग्ध संघ के नियम एवं शर्तो के उल्लंघन के कारण कभी भी किसी कार्य से पृथक अथवा ब्लेक लिस्ट न किया गया हो। यदि उपरोक्त दी गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाई जाती है तो आवंटित कार्य निरस्त कर जमा ई.एम.डी./प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

22. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत रेफ्रीजरेटेड वाहन वाहनों की संघ के निर्धारित मापदण्ड अनुसार समय—समय पर वाहनो का इंसूलेशन गठित समिति द्वारा चेक किया जावेंगा। यदि निर्धारित मापदण्ड अनुसार इंसूलेशन नही पाया जाता है तो परिवहनकर्ता का आवेदन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर परिवहनकर्ता को ब्लेक लिस्टेड करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर दुग्ध संघ को होगा।

23. निविदाकर्ता को प्रतिनिधि भेजने की दशा में प्रतिनिधि को इस निविदा हेतु अपना अधिकार पत्र निविदाकर्ता से प्रमाणित कराकर आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा ऐसे निविदाकर्ता की आवेदन जिनके द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत नही किया जावेंगा उनकी आवेदन मान्य नही की जावेंगी।

24. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय मे कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो प्रबंध संचालक म.प्र. को—ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि. भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति मे आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

25. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य मे अनियमितता की जाती है तो 01 माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।

26. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि मार्ग पर चलने वाली वाहन को बंद करना चाहते है तो 3 माह पूर्व लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

27. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

मेरे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्ता की निविदा हेतु समस्त शर्ते पढ़ व समक्ष ली है तथा मैं/हम सभी शर्तो को माननें के लिये सहज तैयार हूं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु अपनी सहमती देता हूं।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

❖ सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु परिवहनकर्ता का संक्षिप्त परिचय एवं विवरण

पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करे

1.	निविदाकर्ता का नाम	■	————————————
2.	पिता / पति का नाम	■	————————————
3.	जाति	■	————————————
4.	स्थाई पता (प्रमाण सहित)	■	———————————— ———————————— ————————————
5.	वर्तमान व्यवसाय का पता	■	———————————— ———————————— ————————————
	(अ) दूरभाष नं.	■	....
	(ब) मोबाईल नं.	■	....
6.	शैक्षणिक योग्यता	■	————————————
7.	निविदा / फर्म का नाम / यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर–शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।	■	———————————— ———————————— ————————————
8.	वर्तमान व्यवसाय	■	————————————
9.	वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे)	■	————————————

10. वित्तीय स्थिति(बैंक खाता नं.) ▪ ——————————————————

(अ) चल–अचल सम्पति का ब्योरा। –

(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे जमा राशि। – – – – – – – – – – – – –

11. धरोहर राशि। ▪ रू.– – – – – – – – – – – – –

दिनांक – .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

पुरा नाम ....

प्रपत्र क्रमांक – **04**

विपणन मार्ग की जानकारी

1. इन्दौर संयंत्र से सम्बद्ध विपणन परिवहन मार्ग :–

क्रं.	विपणन मार्ग का नाम	दूरी अनुमानित (आना जाना कि.मी. में)	मार्ग पर प्रदाय क्रेटों की संख्या (अनुमानित)	दूध की मात्रा अनुमानित (ली.)	परिवहनकर्ता द्वारा भरी जाने वाली दर	रिमार्क
1	इन्दौर संयंत्र डाक से इन्दौर शहर मे संचालित सॉची एक्सक्लूसिव शॉपियों को दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु रेफ्रीजरेटेड वाहन	110 KM	400	4800	प्रति कि.मी. के आधार पर ही दरें प्रस्तुत की जावे।	रेफ्रीजरेटेड वाहन

<u>प्रपत्र क्रमांक – 05</u>

फाइनेंशियल बिड (प्रारूप)

आवेदन में सम्मिलित विपणन मार्ग हेतु समस्त करों–व्ययों/टोल टैक्स सहित दरें प्रस्तुत करें।

1. इन्दौर संयंत्र से सम्बद्ध विपणन परिवहन मार्ग :–

क्रं.	विपणन मार्ग का नाम	दूरी अनुमानित (आना जाना कि.मी. में)	मार्ग पर प्रदाय क्रेटों की संख्या (अनुमानित)	दूध की मात्रा अनुमानित (ली.)	परिवहनकर्ता द्वारा भरी जाने वाली दर	रिमार्क
1	इन्दौर संयंत्र डाक से इन्दौर शहर मे संचालित सॉची एक्सक्लूसिव शॉपियों को दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन हेतु रेफ्रीजरेटेड वाहन	110 KM	400	4800	प्रति कि.मी. के आधार पर ही दरें प्रस्तुत की जावे।	रेफ्रीजरेटेड वाहन

नोट :–

1. *<u>उपरोक्त विपणन मार्गो हेतु परिवहन दरें केवल प्रतिकिलो मीटर में रेफ्रीजरेटेड वाहन हेतु आनलाईन ही प्रस्तुत की जावे, अन्य आधार पर दरें प्राप्त होने की दशा में ई–निविदा निरस्त की जावेगी।</u>*
2. *<u>परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।</u>*

हस्ताक्षर/सील
हैसियत